

फर्द अहकाम

(नियम 2.6)

महाराष्ट्र कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी  
 मुकाम बावडी  
 वनाम तदसीमपाट बावडी  
 मुकदमा 131, 136 L.R. A. 110/2020

सारीख हुक्म  
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
 नम्बर व सारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

21/20  
 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी  
 11/2/20  
 04/02/2020

20 जलवाली पेश हुई। अप्तारी श्रीमचारी तदसीमपाट बावडी के जारी सम्मन तामील (अदम तामील अप्तारी तदसीमपाट बावडी से रिपोर्टिंग हुई जिले शासित मिल किता गया। जलवाली मगराम के द्वारा जलवाली पुकिता की बावली के ख.नं. 3233 की तदसीम दुस्त कले हेतु जलवाली पुकिता द्वारा 131, 136 L.R. A. के तहत प्रस्तुत कट निवेदन किता गया कि ख. नं. 3233 में ऑन-लाईन नक्शे में तदसीम गलत हो रही है। तदसीम दुस्त कले हेतु निवेदन किता गया।

तदसीमपाट बावडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ख. नं. 3247/2 की तदसीम सही है व ख. नं. 3233 की तदसीम तदसीम रिपोर्टिंग के दस्तावेज नक्शे अनुसार किता जाने की आवश्यकता

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जदि एमने प्रकवाली का उमान पुर्वक  
अवलोकन किया। बाद अवलोकन संलग्न  
पत्रावेन देव तहसीलदार का वडी की रिपोर्ट  
के अनुसार पर प्राचीनता का प्रमाण  
स्वीकार किया जाना उचित पाया होगा।

### आदेश

प्राचीनता का प्रमाण प्रकडक्टिव  
धारा 131, 136 L.R. Act. स्वीकार किया  
जाता है तथा ग्राम पुनिमो की वासनी  
के ख.न. 3233 की तरमीम दुरसू  
को के आदेश मिले जाते हैं तहसीलदार  
का वडी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम  
पुनिमो की वासनी के ख.न. 3233 की  
तरमीम आधिक संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार  
का वडी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरसू  
को है। तहसीलदार का वडी को पत्ताना तहसीर  
पारी हो। संलग्न रिपोर्ट को डक गिर्जा  
का अग्रगण्य अंग समझा जावे।

प्रकवाली जैसे हुमाए होकर  
गम्वल से काग होकर दाखल करवा  
हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाबडी